



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

164
28/8/23

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-5/2023/डी-1844

दिनांक 24-8-23

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डघासी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (गू.नि.स.रा/निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	05	श्रीमती सविता देवी पत्नी श्री त्रिलोक चन्द	श्रीमती सविता देवी पत्नी श्री त्रिलोक चन्द	01	आवासीय	खुदाबादी सोनार हाउसिंग कॉ-आपरेटिव सोसायटी की योजना विवेक विहार	280.00 व. ग.	व्यावसायिक	व्यावसायिक भू-उपयोग हेतु

उपायुक्त जोन-5
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का

निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-5
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन - 5
जयपुर विकास प्राधिकरण

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (91-141)-2563234; ईपीबीएक्स - (91-141)-2569696 एक्सटेंशन: (8250); फैक्स - (91-141)-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2023/डी-

845

दिनांक-

24/8/23

-:सार्वजनिक सूचना:-

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क. स.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	योगेश कुमार वर्मा/द्वारका प्रसाद वर्मा (श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-रूप सागर)	51ए	104
2	जुगल किशोर लाम्बा/द्वारका प्रसाद लाम्बा (श्री जनता को.आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० जयपुर की योजना-घनश्याम विहार-ए)	118	200

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
- उक्त पत्रावली में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



-: सूचना :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	मंजू बाला पत्नी श्री यादराम गोयल	अजयपाल पुत्र श्री केसरराम	ए-186	237.50	हसनपुरा-ए गृ.नि.स. स. लि०	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवटन पत्र, रसीद एवं साईट प्लान अपजीकृत इकरारनामा
2	ममता भित्तल पत्नी श्री कृष्ण कुमार	पुष्या शर्मा पत्नी श्री प्रमोद कुमार शर्मा	ए-48	166.66	हसनपुरा-ए गृ.नि.स. स. लि०	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवटन पत्र, रसीद एवं साईट प्लान, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र
3	प्रीति गुप्ता पत्नी शिवेश कुमार गुप्ता	रामफूल शर्मा पुत्र श्री मुन्ना लाल शर्मा	ए-35	138.88	हसनपुरा-ए गृ.नि.स. स. लि०	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवटन पत्र, रसीद एवं साईट प्लान, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, वसीयतनामा
4	श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा	स्वयं	22	200.00	हथरोई गढी गृ.नि.स. स.	कृष्णा विहार-ए	लीजडीड	आवटन पत्र, रसीद एवं साईट प्लान,
5	ललित मीना पुत्र स्व. श्री जयदेव मीना	सत्यनारायण सिंह पुत्र श्री रामेश्वर सिंह	ए-17	240.00	बस्सीसीतारामपुरा-बी गृ.नि.स.स. लि.	भैरव नगर	लीजडीड	आवटन पत्र, रसीद एवं साईट प्लान, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र
6	नरेन्द्र कुमार गोस्वमी पुत्र श्री रामचन्द्र गोस्वमी एवं अंजू गोस्वमी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार गोस्वमी	अलका रानी पत्नी श्री रामस्वरूप मीना	3-4	164.76	मित्र गृ.नि.स.स.लि.	सुमेर नगर विस्तार-एन ब्लॉक	लीजडीड	आवटन पत्र, रसीद एवं साईट प्लान, अपजीकृत इकरारनामा
7	मटरू पुत्र श्री अंगद	गोपाल जाट पुत्र श्री छोटू जाट	32	200.00	राजहंस को.हा. सो. लि०	उत्तम नगर	लीजडीड	आवटन पत्र, रसीद एवं साईट प्लान, अपजीकृत इकरारनामा

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/पी.आर.एन (दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी-1845-
दिनांक.....

23-8-23



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है; जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योज ना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री विष्णु प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल	श्री जे.पी चौखानी पुत्र श्री बी.के चौखानी	बी-70 एण्ड बी- 69 वेस्ट पार्ट	639.81	बदनपुरा फकीरो की डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	सुन्दर नगर-बी	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, इकरारनामा
2.	श्री कृष्ण प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल	श्री झाबू लौहार पुत्र श्री रामनाथ लौहार	बी-69 ईस्ट पार्ट	223.04	बदनपुरा फकीरो की डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	सुन्दर नगर-बी	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, इकरारनामा

उपायुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2023/डी-1820

दिनांक 24/08/23

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय); फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



:- सूचना :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	पायल गोयल पत्नी श्री योगेश गोयल	संजु अग्रवाल पत्नी श्री गिरीराज अग्रवाल	6	611.11	मीनावाला गृ.नि.स.स. लि0	कीर्ति सागर-जे	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद एवं साईट प्लान अपंजीकृत इकरारनामा
2	खुशाल चौधरी पुत्र श्री गजानन्द चौधरी	माया सिहाग पत्नी श्री गोपाल सिहाग	45	170.56	कीर्ति नगर को. हा. सो.लि.	श्रीगोपाल नगर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद एवं साईट प्लान अपंजीकृत इकरारनामा



उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/पी.आर.एन (दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी- 1849
दिनांक..... 23/8/23

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2023/डी- 2168

दिनांक 25/8/23

प्रारूप 13

(नियम 13(2) देखिए)

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31.12.2021 से पूर्व की कालावधि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है/किया गया है। अतः उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके सहमति/असहमति में या आपके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरण होने के कारण झुलेलाल नगर विकास समिति की योजना झुलेलाल नगर के सदस्यों द्वारा इसको अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्वर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (8) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।


ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	खातेदार
ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर	1786	0.83	गोविन्दलाल पुत्र जबरीमल हिस्सा 1/2 जाति कुमावत (सा. डीडवाना नागौर) घनश्याम पुत्र चेताराम अग्रवाल हिस्सा 1/2 जाति कुमावत सा. महावीर कॉलोनी मदनगंज (किशनगढ़)

ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर	1785 / 5155	0.25	मीना गोयल पत्नि श्री गणपतलाल गोयल जाति गोयल सा.डागा की गली मदनगंज (किशनगढ़)
ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर	1785 / 5154	0.88	चेतराम पुत्र गोकुलचन्द हिस्सा 1/2 जाति पटवारी सा.डागा की गली मदनगंज (किशनगढ़) सावित्रीदेवी पत्नि श्री ओमप्रकाश पटवारी हिस्सा 1/2 जाति पटवारी सा. मऊ (श्री माधोपुर)

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नम्बर 305, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यवसित कर भूमि को पुर्नग्रहित किया जा सकेगा। सूचित रहें। नोटिस आज दिनांक 25/8/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

— 11 —
प्राधिकृत अधिकारी,
जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

✓ प्रतिलिपि:— जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना का दौ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने का श्रम करावें।


प्राधिकृत अधिकारी,
जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2023/डी- 2159

दिनांक 25/8/23

प्रारूप 13

(नियम 13(2)देखिए)

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31.12.2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है/किया गया है। अतः उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके सहमति/असहमति में या आपके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरण होने के कारण हरिनगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गुलाब विहार के सदस्यों द्वारा इसको अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्वर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (8) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।


ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	खातेदार
ग्राम सुखिया	11	1.41	ननछीलाल पुत्र भूरा हिस्सा-पूर्ण जाति-माली नि. रामपुरा रूपा, खातेदार,
तहसील	12/1	0.9	
सांगानेर	13/1	0.46	
	14	0.02	
	15/1	0.07	

	16 / 1	0.51		
	17 / 2	0.93		
	18 / 1	0.66		
	कुल किता-08	कुल-4.96		
		है0		

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नम्बर 305, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यवसित कर भूमि को पुर्नग्रहित किया जा सकेगा। सूचित रहें। नोटिस आज दिनांक 25/8/20 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

— 11 —
 प्राधिकृत अधिकारी,
 जोन-8
 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर

प्रतिलिपि:— जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना का दौ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने का श्रम करावें।


 प्राधिकृत अधिकारी,
 जोन-8
 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 1710

दिनांक: 28/8/2023

आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सहमति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (ग.नि.स. स./निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025 जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया।
1	7	मैसर्स रिट्टी राज बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर एल.एल.पी. जरिये निदेशक श्री. कुणाल जैन	मैसर्स रिट्टी राज बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर एल.एल.पी. जरिये निदेशक श्री. कुणाल जैन	16,19	आवासीय	राठौड नगर (शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.)	522.82 वर्ग गज	व्यावसायिक	व्यावसायिक

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक-नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक-मास्टर प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त एवं उपायुक्त जोन-7कारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा / उपा. / जोन-09 / 2023 / डी- 3529

दिनांक:- 24/8/23

सार्वजनिक सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	32	289.75 व.ग.	बॉस एनक्लेव	श्रीमती सतारा देवी पत्नी स्व. श्री जलै सिंह चौधरी	श्री जलै सिंह चौधरी पुत्र श्री मंगलराम	मृत्यु प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर

उपायुक्त जोन-9,
जयपुर
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावें।

उपायुक्त जोन-9,
जयपुर
जविप्रा, जयपुर।

M
SMS



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

विषय—आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	मूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री जितेन्द्र कुमार डोलिया पुत्र श्री भगवान डोलिया	श्री सुशील कुमार बूबना पुत्र श्री श्याम सुन्दर बूबना	203	अपोलो नगर गृ.नि.स.स.	नन्दपुरी-बी	लीजहोलड से फिहोल्ड लीजडीड	अपंजीकृत मु. आम द्वारा बेचान के आधार पर
2	श्रीमती वेदवती डोलिया पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार डोलिया	श्रीमती रेणु देवी बुबना पत्नी श्री सुशील कुमार बूबना	204	अपोलो नगर गृ.नि.स.स.	नन्दपुरी-बी	लीजहोलड से फिहोल्ड लीजडीड	अपंजीकृत मु. आम द्वारा बेचान के आधार पर
3	श्रीमती गायत्री शर्मा पत्नी स्व. श्री मनमोहन शर्मा	श्री मनमोहन शर्मा पुत्र श्री हरिनारायण शर्मा	113	पथीक भवन गृ.नि.स.स.	13एफ शांति धाकड कॉलोनी	फिहोल्ड लीजडीड	मृत्यु उपरांत पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर

जयपुर विकास प्राधिकरण-9
जयपुर-9
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2023/ क्रमांक:/डी-3530
दिनांक 24/8/23

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सिकल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय} : फैक्स- +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 1711

दिनांक 22/8/2023

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि. स.स./ निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा	श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा	पुर्नगठित भू.सं. 162, 163, 167, 168	आवासीय	नेमी सागर (तोपखानादेश भवन गृ.नि. स.स.)	1376.00 वर्ग.	आवासीय	मिश्रित

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण
जोन-7, जयपुर

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1712

दिनांक 28/8/23

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण, जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि. स.स./निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	श्री सायर सिंह राठौड़ पुत्र श्री ओंकार सिंह, श्रीमती ओम कंवर, श्री चेतन सिंह एवं श्री अनिरुद्ध सिंह पत्नी/ पुत्रान श्री सायर सिंह राठौड़	श्री सायर सिंह राठौड़ पुत्र श्री ओंकार सिंह, श्रीमती ओम कंवर, श्री चेतन सिंह एवं श्री अनिरुद्ध सिंह पत्नी/ पुत्रान श्री सायर सिंह राठौड़	भूसं. 204	आवासीय	स्कीम नं. 16 गिरनार कालोनी (पथिक भवन गृ.नि.स.स.)	350.00 व. ग.	आवासीय	मिश्रित

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डकारी द्वारा परामर्श प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टे/नामहरतातरण हेतु आवेदन किया गया है

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहरतातरण/लीजडीड / फी होल्ड लीजडीड/अन्य
1	ई-42	200.00 वर्गमीटर	माहुल कुमार गीना	जयिप्रा	कहना नगर आवासीय योजना	मृत्यु प्रमाण, रजिस्टर्ड मकदमा पत्र व सजरा प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड विक्रम पत्र के आधार पर नामहरतातरण/लीजडीड जारी करने योग्य।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, चारिस एव सस्था को आपत्ति हो तो गय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

क्रमांक :- 2255 दिनांक 28/8/2023

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञापन का प्रकाशन हेतु पेशित है।
- रहित पत्रावली।

उपायुक्त एवं अधिकरण अधिकारी
जयिप्रा, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर